रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 243] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 17, 2015/भाद्र 26, 1937
No. 243] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 17, 2015/BHADRA 26, 1937

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2015

सं. 18-1/2013-यू.5 (खंड III) – निम्नलिखित योजना सभी संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है:

अध्याय-I

प्रस्तावना

1. योजना का शीर्षक और आरंभ होने की तिथि

(i) यह योजना शिक्षा ऋण हेतु क्रेडिट गारंटी निधि (सीजीएफएसईएल) के रूप में जानी जाएगी।

(ii) यह योजना भारत सरकार द्वारा अधिसूचना की तिथि से लागू होगी।

(iii) इस योजना की अधिसूचना की तारीख को या इसके पश्चात् संस्वीकृत किए गए नए शिक्षा ऋण इस योजना में शामिल किए जाने हेतु पात्र होंगे जो इसकी निम्नलिखित अपेक्षाएं पूरी करते हों।

2. ऋण सीमा

इस योजना के तहत अधिकतम ऋण सीमा 7.5 लाख रूपये है जिसके लिए किसी समर्थक प्रतिभूति और तीसरी पार्टी गारंटी की आवश्यकता नहीं है। तथापि, निधि, जब कभी अपेक्षित होगा, ऋण सीमा में संशोधन कर सकती है।

3. ब्याज दर

सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा शिक्षा ऋणों हेतु प्रभारित की जाने वाली ब्याज दर, जो आधार दर से सालाना 2% से अधिक न हो, सीजीएफएसईएल के अंतर्गत शामिल की जाए। तथापि, निधि प्रचलित ब्याज दर व्यवस्था, ऋणदात्री संस्थाओं की आधार दरों और भारतीय रिजर्व बैंक की क्रेडिट नीतियों को ध्यान में रखते हुए ऐसी सीमा में समय-समय पर संशोधित कर सकती है।

4. मार्जिन

4 लाख रूपये तक — शून्य

4 लाख रूपये से अधिक: भारत में अध्ययनों के लिए 5%

विदेश में अध्ययनों के लिए 15%

5. परिभाषाएं

इस योजना के प्रयोजनार्थ –

(i) **"चूक राशि"** का अभिप्राय – दात्र उधारकर्ता के ऋण खाते(तों) में, खाते के एनपीए बनने की तारीख को, या दावा आवेदन करने की तारीख को, जो भी पहले हो, जमा ब्याज समेत बकाया ऋण की राशि, या अन्य कोई ऐसी राशि जिसे निधि द्वारा अधिकतम 'गारंटी कवर' के अध्यधीन गारंटी कवर के विरूद्ध किसी दावे के लिए अधिमान्यता देने हेतु विनिर्दिष्ट किया गया हो, से है।

(ii) **"आधार दर"** ऋणदात्री संस्थाओं के लिए इसका अभिप्राय उस आधार दर से है जो उस ऋणदात्री संस्था द्वारा समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार उसी प्रकार घोषित की गई हो जिसके आधार पर ऋण के लिए अनुप्रयोज्य ब्याज निर्धारित किया जाएगा।

(iii) **"पात्र उधारकर्ता"** से अभिप्राय भारतीय राष्ट्रीयता वाले नये या मौजूदा उधारकर्ता से है जो "भारत और विदेश में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने से संबंधित" आईबीए मॉडल शैक्षिक ऋण योजना" के तहत निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करता है और उसने शिक्षा ऋण लेने के लिए ऋणदात्री संस्था के साथ ऋण दस्तावेज निष्पादित किए हों। माता-पिता/संरक्षक सह-उधारकर्ता/संयुक्त उधारकर्ता होंगे। विवाहित व्यक्ति के मामले में, संयुक्त उधारकर्ता पति-पत्नी या माता-पिता/सास-ससुर भी हो सकते हैं।

(iv) **"समर्थक प्रतिभूति"** का अभिप्राय ऐसी प्रतिभूति से है जो उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता को उसकी व्यक्तिगत बाध्यता के अतिरिक्त प्रदान की गई है।

(v) **"शिक्षा ऋण"** से अभिप्राय - ऋणदात्री संस्था द्वारा 'आईबीए मॉडल शैक्षिक ऋण योजना' के अनुसार उच्चतर शिक्षा हेतु पात्र उधारकर्ता को बतौर ऋण दी गई किसी वित्तीय सहायता से है।

(vi) **"निधि"** से अभिप्राय - भारत सरकार द्वारा स्थापित उस शिक्षा ऋण क्रेडिट निधि से है जिसका उद्देश्य उन शिक्षा ऋणों में चूक के विरूद्ध भुगतान की गारंटी देना है जो उस सदस्य ऋणदात्री संस्था (संस्थाओं) (एमएलआई) द्वारा पात्र उधारकर्ताओं को दिए गए हैं।

(vii) **"गारंटीदाता"** से अभिप्राय बैंक को स्वीकार्य एक व्यक्ति से है, जो उधारकर्ता के ऋण न चुका पाने की स्थिति में शिक्षा ऋण चुकाने की गारंटी देता है।

(viii) **"गारंटी कवर"** से अभिप्राय है - ऋणदात्री संस्था द्वारा दी गई वह क्रेडिट सुविधा जिसमें प्रति पात्र उधारकर्ता को चूक राशि का अधिकतम कवर (अर्थात् 75%) उपलब्ध है।

(ix) **"ऋणदात्री संस्था(एं)"** से अभिप्राय - उन सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों से है जो भारतीय बैंक संघ के सदस्य हैं। 'निधि', निष्पादन की समीक्षा करने के बाद, सहकारी बैंकों/अन्य वित्तीय संस्थाओं/गैर-बैंकिंग संस्थाओं को भविष्य में अतिरिक्त ऋणदात्री संस्थाओं के रूप में शामिल कर सकती है।

(x) **"नियत तारीख"** से अभिप्राय उस तारीख से है जिस तारीख को ऋणदात्री संस्था द्वारा न्यास को पात्र उधारकर्ता के संबंध में तय की गई राशि पर गारंटी शुल्क देय हो जाता है।

(xi) **"अनर्जक परिसंपत्तियां"** से अभिप्राय उस परिसंपत्ति से है जो समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों और दिशा-निर्देशों के आधार पर अनर्जक के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्ति है।

(xii) **"योजना"** से अभिप्राय - शिक्षा ऋण क्रेडिट गारंटी निधि योजना है।

(xiii) **एनसीजीटीसी** से अभिप्राय - राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी न्यासी कंपनी से है जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत भारत सरकार द्वारा 28 मार्च, 2014 को एक ट्रस्टी रूप में की गई थी ताकि शैक्षिक ऋण, कौशल विकास ऋण और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की जाने वाली किन्हीं अन्य निधियों हेतु क्रेडिट गारंटी निधि का संचालन हो सके।

(xiv) तद्नुसार, सीजीएफएसईएल के संचालन से संबंधित सभी मामले उक्त ट्रस्ट निधि की ओर से एनसीजीटीसी द्वारा संचालित किए जाएंगे।

अध्याय-II

योजना का क्षेत्र और सीमा

6. निधि द्वारा गारंटी

i. एनसीजीटीसी, योजना के अन्य प्रावधानों के अध्यधीन, ऐसी सदस्य ऋणदात्री संस्था (एमएलआई) द्वारा एक पात्र उधारकर्ता को दिए गए 7.5 लाख रूपये तक के शिक्षा ऋणों के संबंध में प्रतिभू होगी, वशर्ते उस संस्था ने इस प्रयोजन के लिए एनसीजीटीसी के साथ शैक्षिक ऋणों के पुन: भुगतान में चूक के विरूद्ध गारंटी प्रदान करने के लिए आवश्यक समझौता किया है।

ii. एनसीजीटीसी को ऋणदात्री संस्था द्वारा इसे भेजे गए किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है, भले ही वह इस योजना के मानदंडों को पूरा करती हो।

7. योजना के अंतर्गत शिक्षा ऋण की पात्रता

(i) इस निधि में आईबीए की योजना के अनुसार पात्र उधारकर्ता को सदस्य ऋणदात्री संस्था (संस्थाओं) द्वारा दिए गए वे शिक्षा ऋण शामिल होंगे जिन्हें एनसीजीटीसी के साथ करार करने पर या उसके पश्चात् बिना किसी समर्थक प्रतिभूति और/या तीसरी पार्टी गारंटी के दिया गया है, वशर्ते उस ऋणदात्री संस्था ने ऐसी समय अवधि के भीतर और एनसीजीटीसी द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार ऐसे संस्वीकृत शिक्षा ऋणों के संबंध में गारंटी कवर के लिए आवेदन किया हो।

(ii) ऋणदात्री संस्था अप्रैल-जून, जुलाई-सितम्बर, अक्तूबर-दिसम्बर और जनवरी-मार्च की तिमाही में संवितरित शिक्षा ऋणों के संबंध में क्रमश: निम्नलिखित तिमाही अर्थात् जुलाई-सितम्बर, अक्तूबर-दिसम्बर, जनवरी-मार्च और अप्रैल-जून के समाप्त होने से पूर्व गारंटी कवर के लिए आवेदन करे।

(iii) नियत तारीख तक

(क) ऋणदात्री संस्थाओं के खाते के संबंध में कोई भी अतिदेय न हो और या/ऋणदात्री संस्थाओं के बही खातों में ऋण को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत न किया गया हो और/या

(ख) उधारकर्ता के उस कार्यकलाप को बन्द न किया गया हो जिसके लिए क्रेडिट सुविधा मंजूर की गई थी: और/या

(ग) इस क्रेडिट सुविधा का पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से उपयोग, एनसीजीटीसी की पूर्व अनुमति लिए बिना किसी ऐसे ऋण के लिए जो त्रुटिपूर्ण है या जिसकी वसूली सन्देहास्पद है, का समायोजन करने के लिए न किया गया हो।

(iv) निधि अपने विवेक से ऐसी शैक्षिक संस्थाओं और/या उनके पाठ्यक्रमों की सूची को अनुमोदन दे सकती है/तैयार कर सकती है जिनके लिए गारंटी कवर उपलब्ध होगा, या वह ऐसी शैक्षिक संस्थाओं के वर्गों/उनके पाठ्यक्रमों को अधिसूचित कर सकती है जिनके लिए गारंटी कवर उपलब्ध न हो।

8 योजना के तहत अपात्र शिक्षा ऋण

इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शिक्षा ऋण स्वीकृत किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे:-

i. ऐसा कोई शिक्षा ऋण जिसके संबंध में, जोखिमों को सरकार या किसी सामान्य बीमाकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के संघ जो गारंटी देने या क्षतिपूर्ति करने का कार्य करता है, द्वारा अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की गई हो, इस सीमा में शामिल किए गए ऋणों को गारंटी प्राप्त नहीं होगी।

ii. ऐसा कोई शिक्षा ऋण जो इस समय लागू किसी कानून के उपबंधों या केन्द्र सरकार अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किन्हीं निर्देशों अथवा अनुदेशों से मेल न खाता हो या किसी तरह से उनके अनुरूप न हो।

iii. ऋणदात्री संस्था द्वारा मंजूर किया गया ऐसा कोई शिक्षा ऋण जिसकी ब्याज दर, जहां आधार दर लागू है, ऋणदात्री संस्था की आधार दर के 2% से अधिक हो।

9 ऋणदात्री संस्था द्वारा करार का निष्पादन

सदस्य ऋणदात्री संस्था, उसके द्वारा स्वीकृत पात्र शिक्षा ऋण के संबंध में गारंटी देने की तभी हकदार होगी जब उसने एनसीजीबीसी द्वारा निर्धारित फार्म पर एनसीजीटीसी के साथ करार किया हो।

10 योजना के अंतर्गतऋणदात्री संस्था के उत्तरदायित्व

i. ऋणदात्री संस्था भारत और विदेश में उच्च अध्ययन करने की आईबीए मॉडल शैक्षिक ऋण योजना के अनुसार शिक्षा ऋण का मूल्यांकन करेगी और उसे संस्वीकृत करेगी और आम बैंकिंग समझदारी और विधिवत्त परीक्षण के साथ उधारकर्ता के खाते (खातों) का मूल्यांकन करेगी।

ii. ऋणदात्री संस्था शिक्षा ऋण खाते के संबंध में, गारंटी कवर प्रदान करने के लिए एनसीजीटीसी द्वारा अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने को सुनिश्चित करेगी।

iii. ऋणदात्री संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि क्रेडिट गारंटी के तहत कवर किया ऋण नॉन-डिस्चार्जएबल हो।

iv. ऋणदात्री संस्था प्रत्येक शिक्षा ऋण को आधार नंबर के साथ जोड़ने को सुनिश्चित करेगी और उधारकर्ता/सह उधारकर्ता का नाम उचित क्रेडिट जानकारी ब्यूरो में पंजीकृत करेगी।

v. ऋणदात्री संस्था उधारकर्ता के खाते को सावधानीपूर्वक मॉनीटर करेगी और पुनर्भुगतान का अनुवर्तन करेगी।

vi. ऋणदात्री संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि वह उधारकर्ता को दिए गए शिक्षा ऋण के संबंध में एनसीजीटीसी के पास गारंटी दावा उसके द्वारा निर्धारित स्वरूप, ढंग और समय सीमा में करे और यह कि उसकी ओर से उधारकर्ता के खाते में चूक को सूचित करने में कोई विलम्ब नहीं होगा जिससे कि निधि को गारंटी दावे के रूप में अधिक राशि न चुकानी पड़े।

vii. एनसीजीटीसी द्वारा ऋणदात्री संस्था को गारंटी दावे का भुगतान कर देने से उसकी किसी भी तरह से जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती, बल्कि ऋणदात्री संस्था को उधारकर्ता से क्रेडिट की संपूर्ण बकाया राशि के साथ ब्याज की वसूली करनी होगी। ऋणदात्री संस्था को चाहिए कि वह पूरी एहतियात बरते और उधारकर्ता को दिए गए शिक्षा ऋण की संपूर्ण राशि पर अपनी नज़र रखे और जरूरत पड़े तो बकाया राशि की वसूली के लिए ऐसी आवश्यक कार्रवाईयां भी करे, जिसमें एनसीजीटीसी द्वारा सुझाई गई सलाह भी शामिल है।

viii. ऋणदात्री संस्था एनसीजीटीसी द्वारा समय-समय पर जारी ऐसे निर्देशों जो एनसीजीटीसी को उचित लगे का पालन करेगी, जो गारंटी खातों से वसूलियों को सुकर बनाने या क्रेडिट गारंटी प्रदाता के रूप में अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए जारी किए गए हों, ऋणदात्री संस्था ऐसे निर्देशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगी।

ix. ऋणदात्री संस्था, यदि निधि द्वारा कोई गारंटी नहीं दी जाती है, तो वह किसी भी गारंटी वाली राशि के संबंध में अपने बकायों की वसूली करने और निधि के ब्याज की सुरक्षा के लिए ऐसे सभी साधनों का उपयोग करेगी जो सामान्य रूप से अपनाए जा सकते हैं। ऋणदात्री संस्था, विशेष रूप से, गारंटी के लिए आवेदन करने के पहले या बाद में ऐसा कोई कार्य नहीं करेगी जो प्रतिभू के रूप में उसके निधि के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हो। ऋणदात्री संस्था विशेष रूप से कोई भी करार या एकबारगी व्यवस्था प्रबंध करते समय एनसीजीटीसी को सूचित करेगी। इसके अतिरिक्त, ऋणदात्री संस्था उधारकर्ता के साथ करार करके अपनी निधि या अपनी नियुक्त एजेंसी को सुदृढ़ करेगी या अन्यथा उसे एनसीजीटीसी द्वारा चूककर्ता उधारकर्ताओं के नाम और ब्यौरे को प्रकाशित करने का अधिकार होगा।

अध्याय-III

गारंटी शुल्क

11. गारंटी शुल्क

i. गारंटी कवरेज प्राप्त करने के लिए, सदस्य ऋणदात्री संस्था गारंटी कवर के आवेदन की तारीख को जो बकाया राशि है उसके लिए 0.50% प्रतिवर्ष की वार्षिक दर से गारंटी शुल्क का भुगतान करेगी, यह निधि के अतिरिक्त होगी जिसे गारंटी शुल्क के क्रेडिट गारंटी डिमांड एडवाइज नोट की तारीख से 30 दिनों के अन्दर जमा करना होगा। बाद के सभी एजीएफ की वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में बकाया ऋण राशि के आधार पर गणना की जाएगी। तथापि, निधि को विभिन्न शिक्षा ऋणों के लिए भविष्य में विभिन्न गारंटी शुल्क को वसूल करने का अधिकार होगा जो उनके जोखिम-दर/जोखिम प्रोफाइल पर निर्भर करेगी।

ii. इस योजना के तहत गारंटी शुल्क को एकत्र करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

नई गारंटी के संबंध में, एजीएफ के लिए एमएलआईएस संबंधी मांग गारंटी कवर के अनुमोदन पर की जाएगी। गारंटी के प्रारंभ होने की तारीख वह तारीख होगी जिस तारीख को एजीएफ ट्रस्ट के बैंक खाते में जमा किया जाएगा। एजीएफ की गणना पहले और अन्तिम वर्ष के लिए यथानुपात आधार पर की जाएगी और वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से समग्र बकाया ऋण राशि की गणना बीच के वर्षों में की जाएगी। बाद के मामले में, एजीएफ का भुगतान 30 दिनों के भीतर अर्थात् प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल या उससे पहले किया जाएगा।

iii. परन्तु यदि, एजीएफ का निर्धारित समय या विस्तारित समय जिस पर एनसीजीटीसी की या उसके द्वारा ऐसी शर्तों पर सहमति हुई हो, भुगतान नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उस क्रेडिट सुविधा जिसके विरूद्ध एजीएफ बकाया हैं या भुगतान नहीं किए गए हैं, ऐसी क्रेडिट सुविधा वाली गारंटी हेतु निधि की देनदारी समाप्त हो जाएगी।

iv. यदि राशि की संगणना या गारंटी शुल्क की गणना करने में कोई गलती या विसंगति रह जाती है तो संबंधित ऋणदात्री संस्था निधि को ऐसी राशि पर बैंक की 4% की दर से अधिक और ऊपर ब्याज का भुगतान करेगी। अधिक भुगतान की गई किसी भी राशि को कोष से लौटाया जाएगा। इस संबंध में ऋणदात्री संस्था द्वारा दिए गए किसी भी अभ्यावेदन पर, एनसीजीटीसी इसके पास उपलब्ध जानकारी और ऋणदात्री संस्था से प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णय करेगा। इसके होते हुए भी, एनसीजीटीसी का निर्णय अंतिम होगा और ऋणदायी संस्था पर बाध्यकारी होगा।

v. गारंटी शुल्क की समकक्ष राशि को सदस्य ऋणदात्री संस्था द्वारा वहन किया जाएगा।

vi. ऋणदात्री संस्था द्वारा एनसीजीटीसी को एक बार भुगतान किया गया गारंटी शुल्क वापस नहीं होगा, जिसमें कुछ परिस्थितियां शामिल नहीं है जैसे:-

क) अधिक जमा राशि,

ख) एक ही शिक्षा ऋण के लिए एक बार से अधिक जमा की गई राशि, और

ग) यह वार्षिक गारंटी शुल्क जो देय न हो।

अध्याय-IV
गारंटी

12. गारंटी की सीमा

यह निधि चूक राशि के 75 प्रतिशत की सीमा तक गारंटी सुरक्षा प्रदान करेगी। 'निधि' को इसे संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित होगा। गारंटी सुरक्षा गारंटी शुल्क के भुगतान की तारीख से प्रारंभ होगी और यह शिक्षा ऋण के बाबत् तय की गई अवधि तक बनी रहेगी।

अध्याय-V
दावे

13. गारंटी का आह्वान

(i) यदि अनर्जक परिसम्पत्ति (एनपीए) लॉक-इन अवधि या 1 वर्ष की अवधि के बाद वर्गीकृत होती है या यदि एनपीए लॉक-इन अवधि के भीतर बनती है तो ऋणदात्री संस्था एनपीए की तारीख से अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के अंदर शिक्षा ऋण के संबंध में निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के बाद गारंटी के लिए अनुरोध कर सकती है।

क. जब खाता अनर्जक परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया तब संबंधित ऋण सुविधा के मामले में गारंटी लागू रही हो।

ख. प्रतिपादित ऋण के मामले में, ब्याज की अधिस्थगन अवधि समाप्त हो जाने के बाद या गारंटी सुरक्षा शुरू होने की तारीख से, जो भी बाद में हो, 12 महीनों की लॉक-इन अवधि समाप्त हो गई है। आईबीए शिक्षा ऋण योजना के अनुसार अधिस्थगन अवधि पाठ्यक्रम अवधि + एक वर्ष है। साथ ही, छात्रों के लिए चुकौती की शुरूआत होने तक पढ़ाई की अवधि और अधिस्थगन अवधि के दौरान ब्याज चुकाने का विकल्प रहेगा।

ग. वह राशि जो ऋणदात्री संस्था को शिक्षा ऋण के संबंध में बकाया या देय है का भुगतान न हुआ हो और जो ऋणदाता संस्था द्वारा अनर्जक परिसम्पत्तियों के रूप में वर्गीकृत की गई हों। परन्तु यदि हानि किसी ऋण सुविधा के संबंध में ऐसे किसी कार्य/निर्णय के फलस्वरूप हुई है जो एनसीजीटीसी के दिशा-निर्देशों के विपरीत अथवा उनके उल्लंघन स्वरूप है तो ऐसी स्थिति में ऋणदात्री संस्था एनसीजीटीसी के पास न तो दावा भेज सकेगी और न ही वह उसकी हकदार होगी।

घ. यह क्रेडिट सुविधा वापस ले ली गई है और कानूनी प्रक्रिया के तहत वसूली कार्यवाही शुरू कर दी गई हैं।

(ii) ऋणदात्री संस्था को चाहिए कि वह दावे की प्रक्रिया एनसीजीटीसी द्वारा इस संबंध में निर्धारित कालावधि/या निर्धारित की जाने वाली कालावधि के अनुसार और उसके भीतर करे।

(iii) एनसीजीटीसी ऋणदात्री संस्था को उसके द्वारा 30 दिन के भीतर पात्र दावा चाहने पर गारंटी राशि का 75 प्रतिशत अदा करेगी बशर्ते वह दावा अन्यथा सही हो और सभी मायने में पूर्ण हो। 30 दिन से अधिक विलंब होने की दशा में, एनसीजीटीसी उस विलंब अवधि के लिए प्रचलित बैंक दर पर दावे की पात्र राशि पर ऋणदात्री संस्था को ब्याज अदा करेगी। सदस्य ऋणदात्री संस्था (एमएलआई) से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद, गारंटी राशि के 25 प्रतिशत की शेष राशि अदा की जाएगी कि चूक की राशि की वसूली के लिए सभी प्रकार के उपाय किए जा चुके हैं। दावे की राशि अदा किए जाने की स्थिति में, यह माना जाएगा कि एनसीजीटीसी/निधि संबंधित उधारकर्ता पर लागू रहने वाली गारंटी संबंधी अपनी सभी देयताओं से मुक्त हो गई है।

(iv) चूक होने की दशा में, ऋणदात्री संस्था उधारकर्ता की आस्तियों के अधिग्रहण के अधिकारों, यदि कोई हों, का उपयोग करेगी तथा ऐसी परिसम्पत्तियों की बिक्री से या अन्यथा उगाही गई राशि, यदि कोई हो, को ऋणदाता संस्थाओं द्वारा पूर्ण रूप से एनसीजीटीसी को गारंटी राशि के शेष अंश का दावा करने से पहले जमा कर दिया जाएगा।

(v) यदि शिक्षा ऋण के मूल्यांकन/नवीकरण/अनुवर्तन/संचालन में खामियां रही हैं या जहां एक से अधिक बार दावा किया गया है या दावों के निपटान के लिए ऋणदाता संस्थाओं द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छुपाई गई है तो ऋणदात्री संस्था एनसीजीटीसी द्वारा दावे को अस्वीकार किए जाने की दशा में उसके द्वारा अदा की गई राशि प्रचलित बैंक दर से 4 प्रतिशत अधिक दर का दंडात्मक ब्याज सहित वापस करने के लिए बाध्य होगी। ऋणदात्री संस्था 'निधि' द्वारा मांग किए जाने पर एनसीजीटीसी द्वारा अदा की गई दावे की राशि की तारीख से दावे की राशि वापस किए जाने की तारीख तक की अवधि के लिए दंडात्मक ब्याज अदा करेगी।

(vi) ऋणदाता संस्थाओं के प्रधान कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय या अन्य निर्दिष्ट कार्यालय से प्राप्त गारंटी दावों पर ही विचार किया जाएगा। शाखाओं से सीधे प्राप्त होने वाले दावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

14. अधिकारों का प्रतिस्थापन और भुगतान किए गए दावों की वसूली

i. ऋणदात्री संस्था को चाहिए कि वह एनसीजीटीसी द्वारा मांग करने पर उसे वसूली के लिए किए गए प्रयासों, प्राप्त राशियां और संबंधित अन्य सूचनाओं का ब्यौरा उपलब्ध कराए। एनसीजीटीसी अधिकार अधिस्थापन का कार्य नहीं करेगी। बकाया राशि के संबंध में जिम्मेदारी ऋणदाता संस्था की होगी।

ii. यदि किसी उधारकर्ता ने ऋणदाता संस्था से एक से अधिक अलग-अलग ऋण लिए हों और उनमें से किसी एक या अधिक का भुगतान करता हो, भले ही जिस खाते के लिए भुगतान किया गया हो वह 'निधि' की गारंटी के तहत सुरक्षित है अथवा नहीं, इस खंड के प्रयोजन के लिए यह मान लिया जाएगा कि ऋणदाता संस्था ने उस राशि को गारंटी के तहत सुरक्षा प्राप्त ऋण के लिए विनियोजनित कर लिया है जिसके संबंध में दावा प्रस्तुत किया गया है और दावे की राशि अदा की गई है, चाहे उधारकर्ता ने विनियोजन स्वरूप कुछ भी दर्शाया हो या ऐसे भुगतानों का वास्तविक रूप में विनियोजन जिस किसी स्वरूप में किया गया हो।

iii. एनसीजीटीसी को जो भी राशि देय हो या लौटाई जानी हो उसका भुगतान अविलंब किया जाना चाहिए। यदि एनसीजीटीसी को देय राशि पहली वसूली के बाद 30 दिनों की अवधि के बाद भी अदा नहीं की जाए तो उस पर ब्याज देय होगा। यह ब्याज 30 दिनों की अवधि के बाद जितनी अवधि के लिए देय राशि बकाया रही उतनी अवधि पर बैंक दर से ऊपर 4 प्रतिशत की दर से लागू होगा।

अध्याय-VI

विविध

15. ऋणदाता संस्थाओं से प्राप्त राशियों का विनियोजन

ऋणदाता संस्थाओं से प्राप्त राशियों का विनियोजन वार्षिक गारंटी शुल्क, दंडात्मक ब्याज और अन्य प्रभार जिस क्रम में बकाया थे, उस क्रम में विनियोजित किए जाएंगे। यदि वार्षिक गारंटी शुल्क और दंडात्मक ब्याज की देय तारीख एक ही दिन को है तो ऐसी स्थिति में पहले वार्षिक गारंटी निधि और उसके बाद दंडात्मक ब्याज के रूप में विनियोजित की जाएगी। पात्र ऋण सुविधा के संबंध में देय प्रभारों को अंत में विनियोजित किया जाएगा।

16. गारंटी का उपयोग हो जाने के बाद ऋण सुविधा के संबंध में ऋणदाता संस्था को प्राप्त राशि का विनियोजन

एनसीजीटीसी द्वारा ऋणदाता संस्था को इस योजना के पैराग्राफ 13 के अनुसार राशि में चूक होने पर यदि भुगतान कर दिया गया हो, और यदि उसके बाद वसूली कार्यवाही के फलस्वरूप ऋणदाता संस्था को कोई राशि प्राप्त होती है तो ऋणदाता संस्था को चाहिए कि वह प्राप्त राशि में से वसूली हेतु हुए कानूनी खर्च की राशि कम करके शेष एनसीजीटीसी के पास जमा कर दे। 'निधि' इस तरह से प्राप्त राशि को पहले वार्षिक गारंटी शुल्क, दंडात्मक ब्याज और 'निधि' को देय ऐसे अन्य प्रभारों के लिए, यदि कोई हों, विनियोजित करेगी जिसका संबंध इस ऋण सुविधा से था व जिसके लिए ऋणदाता संस्था ने राशि वूसल की थी। यदि कोई राशि बच जाती है तो उसका उपयोग ऋण सुविधा की वसूली में जो घाटा हुआ उसे पूरा करने में किया जाएगा जिसमें एनसीजीटीसी और ऋणदाता संस्था के बीच विनियोजन का अनुपात क्रमश: 75 प्रतिशत और 25 प्रतिशत रहेगा।

17. कतिपय मामलों में 'निधि' की देयता का समाप्त हो जाना

i. यदि उधारकर्ता ने ऋणदाता संस्था से शिक्षा ऋण लिया है, जिसे इस योजना के अंतर्गत गारंटी प्राप्त है, और यदि उस उधारकर्ता की देयता किसी अन्य उधारकर्ता को अंतरित की जाती है अथवा वह सौंप दी जाती है तो ऐसी स्थिति में यह मान लिया जाएगा ऐसे अंतरण की तारीख से या सौंपे जाने की तारीख से उस शिक्षा ऋण की गारंटी समाप्त हो गई यदि नए उधारकर्ता की पात्रता व शिक्षा ऋण की मात्रा संबंधी शर्तें व ऐसी अन्य शर्तें व नियम, यदि कोई हों, जिनके तहत शिक्षा ऋण को गारंटी प्रदान की जाती है, की पूर्ति न होती हो।

ii. यदि उधारकर्ता इस योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले शिक्षा ऋण हेतु अपात्र बन जाता है तो ऐसी स्थिति में ऋणदाता संस्था ने योजना के अंतर्गत उस उधारकर्ता को जितना शिक्षा ऋण दिया है उतनी राशि तक एनसीजीटीसी की देयता ऋणदाता संस्था के प्रति रहेगी जिसकी मात्रा उस दिन तक की होगी जिस दिन को उधारकर्ता अपात्र बन गया था, तथापि, इस योजना के अंतर्गत एनसीजीटीसी पर देयता की जो सीमाएं तय की गई हैं वे बनी रहेंगी।

18. विवरणियां व निरीक्षण

i. ऋणदाता संस्था को चाहिए कि वह इस योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले शिक्षा ऋण के संबंध में एनसीजीटीसी द्वारा मांगे जाने पर ऐसी विवरणियां प्रस्तुत करे और वह जानकारी उपलब्ध कराए जिसकी उसे जरूरत हो।

ii. ऋणदाता संस्था एनसीजीटीसी को इसके अलावा वे सभी दस्तावेज, रसीद प्रमाणपत्र और अन्य लिखित सामग्री भी उपलब्ध कराएगी जिनकी एनसीजीटीसी को जब भी जरूरत हो। इस संबंध में यह मान लिया जाएगा कि ऐसे दस्तावेजों, रसीदों, प्रमाणपत्रों तथा अन्य लिखित सामग्री में उल्लिखित सामग्री सही है बशर्ते किसी दावे को नकारा न गया हो और नेकनीयती से किए गए किसी कार्य के लिए ऋणदाता संस्था या उसके किसी अधिकारी को उत्तरदायी न ठहराया गया हो।

iii. एनसीजीटीसी को योजना के प्रयोजन हेतु जरूरत के अनुसार यह अधिकार होगा कि वह ऋणदाता संस्था की लेखा-बहियों तथा अन्य अभिलेखों की जांच करे या उसकी प्रतियां मंगवाए (कोई अनुदेश पुस्तिका या मैनुअल या परिपत्र हों तो वे भी इसमें शामिल है जिसमें अग्रिम देने की प्रक्रिया संबंधी सामान्य अनुदेश दिए गए हों) ऋणदाता संस्था से उधार लेने वाले उधारकर्ता से संबंधित दस्तावेज भी मंगवाए जा सकते हैं। एनसीजीटीसी ऐसे निरीक्षण अपने अधिकार से करवा सकती है या किसी अन्य व्यक्ति को इस कार्य के लिए नियुक्त कर सकती है। ऋणदाता संस्था के प्रत्येक अधिकारी या अन्य कर्मचारी या उधारकर्ता को, जो ऐसा करने का अधिकार रखता हो, चाहिए कि वह निरीक्षण के लिए नियुक्त एनसीजीटीसी के अधिकारियों अथवा नियुक्त व्यक्ति को, जो भी मामला हो, लेखा बहियां, अन्य अभिलेख तथा वह सूचना उपलब्ध कराए जो उसके पास उपलब्ध है।

19. योजना के तहत विनिर्दिष्ट शर्तें ऋणदाता संस्था पर बाध्यकारी होंगी

i. 'निधि' द्वारा जो भी गारंटी दी जाएगी वह इस योजना के प्रावधानों के तहत संचालित होगी। इस संबंध में यह माना जाएगा कि इस प्रावधानों का उल्लेख गारंटी के दस्तावेजों में दिया गया है।

ii. ऋणदाता संस्था जहां तक संभव हो यह प्रयास करेगी कि योजना के अंतर्गत गारंटी प्राप्त किसी खाते के संबंध में किसी कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें योजना के प्रावधानों के विपरीत न हो। तथापि, अन्य किसी दस्तावेज या कॉन्ट्रैक्ट में किसी बात के होते हुए भी, जहां तक ऋणदाता संस्था का 'निधि' से संबंध है, उसे योजना के तहत लगाई गई शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा।

20. संशोधन व छूट

i. 'निधि' यदि चाहे तो योजना में संशोधन कर सकती है, उसे निरस्त कर सकती है या उसे बदल सकती है, ऐसा इसलिए ताकि योजना के तहत अब तक दी गई गारंटी के फलस्वरूप जो अधिकार या बाध्यताएं पैदा हुई हैं, या उपचित हुई हैं वे ऐसे संसाधनों, निरसन या परिवर्तन से प्रभावित न हों।

ii. यहां उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी, 'निधि' को ऐसे खाते के संबंध में योजना के नियम व शर्तें बदलने का अधिकार होगा जिसे ऐसे परिवर्तन की तारीख तक गारंटी न दी हुई हो।

iii. यदि वह योजना निरस्त हो जाती है तो ऐसी स्थिति में इस योजना में शामिल ऐसी किसी सुविधा के संबंध में 'निधि' की जिम्मेदारी तब तक नहीं होगी यदि ऋणदाता संस्था ने निरसन लागू होने की तारीख से पहले इस योजना के पैराग्राफ 13 के खंड (i) और (ii) में उल्लिखित प्रावधानों का अनुपालन न किया हो।

21. अर्थ निर्णय

यदि इस योजना के प्रावधानों या उसके संबंध में जारी निदेशों अथवा अनुदेशों के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो ऐसी स्थिति में 'निधि' का निर्णय अंतिम होगा।

22. पूरक व सामान्य प्रावधान

यदि इस योजना में किसी मामले के संबंध में विशेष प्रावधान न किया गया हो तो ऐसी स्थिति में 'निधि' ऐसे पूरक अथवा अतिरिक्त प्रावधान बना सकेगी या ऐसे अनुदेश या स्पष्टीकरण जारी कर सकेगी जो इस योजना के प्रयोजन से आवश्यक हों।

ईशिता राय, संयुक्त सचिव